कार्यवृत्त

मंगलवार, 04 अग्रहायण, शक संवत्, 1936

(दिनांक 25 नवम्बर, 2014 ई0)

खण्ड–41
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य सदन में अनुपस्थित रहे।

11:30 बजे नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सदस्यों ने सदन में प्रवेश कर स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

आज नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त 09 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर श्री मदन कौशिक, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री चन्दन राम दास, श्री संजय गुप्ता, श्री राजेश शुक्ला एवं श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य विधान सभा की सूचना स्वीकृत एवं पढ़ी हुई मानी गयी शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-

1. श्री मदन कौशिक	जनपद देहरादून में 26 मार्च, 2011 को दून मेडिकल कालेज की आधारशिला रखने तथा 2014 तक कालेज का संचालन प्रारम्भ होने की घोषणा के पश्चात् अभी तक मेडिकल कालेज प्रारम्भ नहीं होने के संबंध में।
2. श्री राजकुमार ठुकराल	विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि पर मिनी स्टेडियम बनाने तथा एक मार्केटिंग काम्प्लेक्स बनाये जाने के संबंध में।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	प्रदेशभर में चिकित्सा सेवा में सेवारत दाईयों की दयनीय स्थिति के संबंध में।
4. श्री चन्दन राम दास	विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में शहीद राम सिंह बोरा, जू0हा0 भगरतोला व जू0हा0 जखेड़ा का मा0 मुख्यमंत्री व मा0 शिक्षा मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात् भी उच्चीकरण न होने के संबंध में।
5. श्री संजय गुप्ता	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत ग्राम अकौढा खुर्द में पथरी नदी पर श्मशान घाट के पास पुल के निर्माण के संबंध में।
6. श्री राजेश शुक्ला	विधान सभा क्षेत्र किच्छा में तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा द्वारा डेढ़ वर्ष पूर्व की गई घोषणाओं को अभी तक भी पूर्ण न किये जाने के संबंध में।
7. श्री ललित फर्स्वाण	विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाडी–बाछम मोटर मार्ग /मुनार बैण्ड सूपी में डामरीकरण के संबंध में।

सांसद स्व0 श्री ब्रह्म दत्त एवं विधायक स्व0 श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी संवेदना प्रकट की।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट, बसपा नेता श्री हरिदास, उ0क्रा0 दल के नेता श्री प्रीतम सिंह पंवार एवं श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने अपनी–अपनी श्रद्धांजलि दी। माननीय अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सदन की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार को पहुंचा दी जायेगी।

तत्पश्चात् सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 310 के प्राप्त 2 सूचनाओं में से श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष, श्री मदन कौशिक, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री आदेश चौहान, श्री राजकुमार ठुकराल एवं श्री गणेश जोशी के हस्ताक्षरयुक्त 04 नवम्बर, 2014 को रामनगर में छात्र नेता द्वारा आत्मदाह किये जाने से घटित वीभत्स घटना विषयक पहली सूचना को तथा रूद्रपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नजूल भूमि पर कब्जा धारकों को कब्जा दिये जाने विषयक श्री राजकुमार ठुकराल की दूसरी सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम पंचायत क्यारी नगुण में हाईस्कूल के उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री मनवीर सिंह पंवार, निवासी ग्राम महेड़ा पो0 कटखेत थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के ग्राम पंचायत घियाकोटी में जूनियर हाईस्कूल खुलाये जाने के सम्बन्ध में" श्री पुलम दास, निवासी ग्राम घियाकोटी, पो0 कान्सी थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ग्राम पंचायत श्रीपुर बिचवा वन चौकी जंगल किनारे से बंजारी फार्मा तक 1600 मीटर तक मार्ग निर्माण करवाने के सम्बन्ध में" श्री सुनील दत्त भट्ट, निवासी ग्राम सभा बिचवा, विकास खण्ड खटीमा, पो0 चकरपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम सिसैया बन्धा श्री जसवन्त सिंह के पीपल से बड़े बन्धें तक आर0सी0सी0 रोड व 8 ह्यूम पाइप पुलिया के निर्माण करवाने के सम्बन्ध में" श्री कुसुम देवी, निवासी ग्राम सिसैया अमाऊ, खटीमा पो0 खालीमहुवट, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत श्रीपुर बिचवा के चकरपुर मैदान में क्रीडास्थल के निर्माण हेतु वन विभाग से स्वीकृति करवाने एवं क्रीडास्थल का निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सन्तोष चन्द, निवासी ग्राम सभा श्रीपुर बिचवा, पो0 चकरपुर, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के बिरिया चौराहे से दियां तक 3 कि0मी0 500 मीटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम सभा गांगी, पो0 बिरिया मझोला, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के अन्तर्गत प्रश्न उठाते हुए कहा कि कल दिनांक 24 नवम्बर, 2014 की कार्यसूची में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर जो नेता सदन द्वारा दिया गया है वह भ्रमित किया जाने वाला है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य द्वारा दी गई विशेषाधिकार की सूचना विशेषाधिकार के अन्तर्गत नहीं आने के कारण इसे अस्वीकार करते हैं।

नेता सदन के वक्तव्य के बाद मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा दी गई विशेषाधिकार की सूचना वापस ले ली गई।

दिनांक 11 फरवरी, 2014 को सदन में उठाये गये प्रश्न में उपनल के माध्यम से तैनात 18000 कार्मिकों के विनियमितीकरण के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा की विशेषाधिकार की सूचना पर नेता सदन ने अपना वक्तव्य दिया।

श्री राजकुमार ठुकराल व श्री राजेश शुक्ला, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना, विषयक श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण द्वारा अपमानित किये जाने के सन्दर्भ में श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड रज्जुमार्ग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 नवम्बर, 2014 की बैठक में दिनांक 26 नवम्बर, 2014 से दिनांक 27 नवम्बर, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

मंगलवार 25 नवम्बर, 2014

विधायी कार्य

1.उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 **मिनट**)

वर्तमान सत्र के नियम-105 के प्रस्ताव

1.श्री बंशीधर भगत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-(30 **मिनट**)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "उत्तराखण्ड राज्य में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराए जाएं।"

2. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :- (30 **मिनट**)

"प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के सदस्यों को ग्राम पंचायत सदस्यों की भांति अपने कार्य के प्रभावी, कुशल तथा यथोपेक्षित निष्पादन के लिये मानदेय, यात्रा भत्ता, संचार भत्ता, सचिवीय भत्ता आदि सुविधायें प्रदान करने हेतु सम्बन्धित अधिनियमों में यथा आवश्यक संशोधन हेतु कार्यवाही की जाय।"

विगत सत्र के नियम-105 के प्रस्ताव

1.श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम- 105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः- (30 **मिनट**)

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः- (30 **मिनट**)

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

<u>विगत सत्र की नियम-54 की सूचना</u>

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :- (30 **मिनट**)

"दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नही है विशेषकर सदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव हैं।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित हैं। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नही किया गया है।

इण्डियन मेडिकल ऐशोसियेशन U.A. State Branch ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये है, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नही हो सकी है।"

2. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :- (30 **मिनट**)

"विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय"

3. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 **मिनट**)

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।"

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 **मिनट**)

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।"

5. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 **मिनट**)

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।"

6. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 **मिनट**)

"उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"

बुधवार 26 नवम्बर, 2014

1. **विधायी कार्य**

2. **विगत सत्र के नियम-54 के सूचनाः-**

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-(30 **मिनट**)

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्वात् प्राधिकरण नई महायोजनाय घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया हैः-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सराास पट्टी, 13. मितरली, 14, मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गटन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना,जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।''

2. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-(**30 मिनट**)

''उत्तराखण्ड राज्य में ''ईको सेंसटिव जोन'' को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।''

3. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित नियम-54 की सूचना के प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा :-(**30 मिनट**)

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान की अनिवार्यता की जाय।''

शेष कार्यक्रम यथावत्

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिसमें से 5 सूचनाएं स्वीकार की गई, शेष सूचना अस्वीकार की गई।

रामनगर स्थित छात्र नेता रोहित पाण्डेय के आत्मदाह किये जाने विषयक नियम 310 के अन्तर्गत सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री बंशीधर भगत ने अपने विचार व्यक्त किए। गृह मंत्री व नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 02 बजकर 03 मिनट पर 03:00 बजे तक भोजनावकाश के लिये स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के पश्चात् सदन की कार्यवाही 03 :00 बजे श्री अध्यक्ष के अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

ऊधमसिंह नगर जिला मुख्यालय रूद्रपुर स्थित नजूल भूमि पर कब्जाधारियों को पट्टे आवंटित किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री राजकुमार ठुकराल ने विचार व्यक्त किये। नगर विकास मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद देहरादून स्थित बिड़ला पावर सेल्यूशन लिमिटेड लाल तप्पड़ फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों को 17 माह से वेतन न दिये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल एवं श्री आदेश चौहान, ने अपने विचार व्यक्त किये। लघु उद्योग मंत्री व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में स्पष्ट नीति के अभाव में वर्षो से स्वीकृत मोटर मार्गो का निर्माण न होने विषयक सूचना की ग्राह्यता के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने वन अधिनियम से प्रभावित सड़कों के निर्माण में हो रही देरी का यथाशीघ्र निस्तारण करने हेतु सरकार को आदेशित कर सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर स्थित हिंवल नदी में आयी दैवीय आपदा से दोनों किनारों पर रिजोर्ट, कैम्प आदि नष्ट होने विषयक श्रीमती विजय बड़थ्वाल के नियम 58 की सूचना के **मध्य**

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2014-15 की द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांग प्रस्तुत किया।

नियम 58 की ग्राह्यता पर श्रीमती विजय बड़थ्वाल द्वारा विचार व्यक्त किये। आपदा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड- 3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पेयजल विभाग द्वारा वर्ष 2007 से वर्तमान तक जिन 9078 लोगों को ठेकेदारी के आधार पर विभाग में विभिन्न कार्यो हेतु रखा गया है उनके मुख्य नियोक्ता की जानकारी विषयक दिनांक 13 फरवरी, 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न 12 के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने नियम 51 में अपने विचार व्यक्त किये। पेयजल मंत्री के उत्तर के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम 310 में दी गई सूचना विषयक रामनगर में एक विवाह समारोह से गायब बालिका का शव सात दिनों बाद काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास मिलने के संबंध में चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे कल इस पर विचार कर लेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा जवाब भी दिया जाना है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा बार-बार चर्चा कराये जाने की मांग पर नेता सदन के वक्तव्य व अनुरोध के बाद श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे कल नियम 310 के अन्तर्गत सूचना दे दें। वे इस पर विचार कर लेंगे।

श्री बंशीधर भगत, सदस्य विधान सभा ने नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

> "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "उत्तराखण्ड राज्य में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराए जाएं"

जिस पर श्री मदन कौशिक एवं श्री नव प्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये। पंचायती राज मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री हरबंस कपूर, सदस्य विधान सभा ने नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

> "प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के सदस्यों को ग्राम पंचायत सदस्यों की भांति अपने कार्य के प्रभावी, कुशल तथा यथोपेक्षित निष्पादन के लिये मानदेय, यात्रा भत्ता, संचार भत्ता, सचिवीय भत्ता आदि सुविधायें प्रदान करने हेतु सम्बन्धित अधिनियमों में यथा आवश्यक संशोधन हेतु कार्यवाही की जाय।"

नगर विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

नियम 105 के अन्तर्गत श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा हेतु पुकारे जाने मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-

> "उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा ने नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

> "यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

नेता सदन के उत्तर भाषण के उपरान्त मा0 सदस्य द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा पुनः आरम्भ हुईः-

> "दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।
>
> उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नही है विशेषकर सदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव हैं।
>
> राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
>
> हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।
>
> इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।
>
> यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित हैं। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नही किया गया है।
>
> इण्डियन मेडिकल ऐशोसियेशन **U.A. state Branch** ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये है, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नही हो सकी है।"

स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई तथा मा0 सदस्य द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 एवं दिनांक 20 फरवरी, 2014 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा के क्रम में संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मा0 सदस्य द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया गया है से अवगत कराते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गयाः-

श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की सूचनाः-

> "विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुर्नविचार किया जाय।"

श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम-54 की सूचनाः-

"उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

"जनपद देहरादून के पछ्वादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।"

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।"

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी :-**

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने सम्बन्धीं।"

आज नियम-53 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

जनपद बागेश्वर में उपभोक्ताओं को पैकिंग कर्ता एवं विपरण कर्ता (ए) गोपाल जी डेयरी फूड्स प्रा0लि0 बुलन्दशहर (यू0पी0)(बी) डेयरी इण्डिया प्रा0लि0 गजरौला (यू0पी0) नाम से दूध एवं इससे निर्मित उत्पदों की सप्लाई जांचोपरान्त किये जाने के संबंध में श्री ललित फर्स्वाण की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा

विधान सभा नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पहसैनी में गंगा खादर हस्तिनापुर से विस्थापित होकर रनसाली गांव में बसाये गये पच्चीस परिवारों को भूमि तथा मालिकाना हक दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह राना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

जनपद उत्तरकाशी स्थित नौगांव, पुरोला में सब्जी एवं फल मण्डी की स्थापना के संबंध में श्री मालचन्द, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य तथा,

उत्तराखण्ड पराचिकित्सा परिषद् गठित होने पर भी राज्य में पैरामेडिकल कोर्स बी0आर0डी0/आई0टी0बी0पी0टी0 एवं बी0ओ0टी0 के स्नातको का रजिस्ट्रेशन न हो पाने के संबंध में श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदयी कार्य मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 06 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।